न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 01/2017/अपील

हरिसिंह पुत्र मंगलाराम, जाति जाट, निवासी बराल, तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील व जिला –सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री मोहन सिंह मूण्ड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व
निर्णय दिनांक 24.11.2016 द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 22 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 1250/71 रकबा 0.42 हैक्टेयर गैर मुमकिन चारागाह, खसरा नम्बर 1249/71 रकबा 1.00 हैक्टेयर स्कूल खेल मैदान, खसरा नम्बर 72 रकबा 1.86 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड़ पर भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों द्वारा कब्जा करके बाड़े व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही हेतु शिकायत दिनांक 25.06.2016 को सम्पर्क समाधान पोर्टल पर ऑनलाईन इस कार्यालय के समक्ष की थी।

(2) उक्त दर्ज शिकायत को कार्यालय हाजा के द्वारा तहसीलदार सीकर को जांच हेतु दी गई जिसकी जांच तहसीलदार सीकर द्वारा न की जाकर हल्का पटवारी से कराई गई। अतिक्रमी ने भूमाफियों गिरोह बना रखा है जो राजस्व कर्मचारियों से मिले हुए हैं, जिनके द्वारा किया गया कब्जा व पक्का निर्माण नहीं हटाकर उल्टा शिकायतकर्त्ता के विरूद्व ही झूठी कार्यवाही करके अपीलान्ट को ही दोषी मानकर रेस्पोडेन्ट ने धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस दिया जाकर बिना अपीलान्ट की कोई सुनवाई व सीमा ज्ञान के केवल मात्र पटवारी जुराठड़ा की रिपोर्ट को सही मानकर अपीलान्ट के विरूद्व अतिक्रमी मानकर गलत आदेश पारित कर दिया।

(3) अपीलान्ट जो भूमाफिया गिरोह द्वरा किया गया अतिक्रमण के विरूद्व हटाये जाने के लिए शिकायत की गई जिसकी बिना जांच किये केवल मात्र शिकायतकर्त्ता/

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट को 0.01 हैक्टेयर में मेंड़ बनाकर अतिक्रमी मानकर कार्यवाही की गई है जो भूमाफिया गिरोह के दबाव में आकर जांच को येन केन प्रकारेण दबाने के इरादे से रंजिशवश कार्यवाही की गई है।

(4) अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के समक्ष उपस्थित होकर सीमाज्ञान करने का निवेदन किया कि दोनों पक्षों के सामने सीमा ज्ञान भूमि खसरा नम्बर 71, 72, 73 ग्राम बराल की सीमा से सारी सीमाएं अपने आप सही हो जाती। इस बाबत पुरानी व नई सर्वेशीट का नक्शा अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार न तो सीमा ज्ञान कराया गया न ही सीमा आज तक बताई गई तथा सीमाज्ञान खरीफ की खड़ी फसल में नहीं किये जाने की कही और सीमा ज्ञान करने के पश्चात ही दोनों पक्ष की रिपोर्ट आने पर ही नियम का आश्वासन दिया।

(5) अपीलान्ट अपने पिता मंगलाराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 73 मे पुख्ता आवासीय मकान बनाकर काबिज है। खसरा नम्बर 73 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा सैकड़ों वर्षों पुरानी बनी हुई है तथा पड़ोसी खसरा नम्बर 71, 72, 74, 75 व 263, 264 की सीमायें मौके पर कायम है जिसकी लम्बाई व चौड़ाई नाप अनुसार सही नाप व क्षैत्रफल अनुसार मौके पर सही है जिसकी तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान अधीनस्थ न्यायालय ने न देकर केवलमात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है।

(6) अधीनस्थ अधिकारी ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में, बिना बहस, दस्तावेज, सीमाज्ञान को अनदेखा करके एक पक्षीय आदेश पारित किया है जबकि अपीलान्ट प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ है।

(7) अधीनस्थ अधिकारी ने अपीलान्ट के जवाब अनुसार सीमाज्ञान कराये बिना आदेश पारित किया है, चलने योग्य नहीं है। दोनों पक्षों की मौजुदगी में सीमाज्ञान करके ही आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसा अधीनस्थ अधिकारी ने नहीं करके भारी कानूनी गलती की है। अपीलान्ट ने कोई 0.01 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ व निर्माण नहीं कर रखा है। केवल मात्र शिकायत की सही जांच व मौके की सही स्थिति की जांच नहीं करके रंजिश पूर्वक कार्यवाही से आदेश पारित किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

अतः अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 73 की सीमाज्ञान कराये बिना, पुराने व नये नक्शा, जमाबन्दी साक्ष्य सबूत के बिना विधि विरूद्व चुनौतीग्रस्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय 24.11.2016 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जावे।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ अधिकारी ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में, बिना बहस दस्तावेज सीमाज्ञान को अनदेखा करके एक पक्षीय आदेश पारित किया है। दोनों पक्षों की मौजुदगी में सीमाज्ञान करके ही आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसा अधीनस्थ अधिकारी ने नहीं करके भारी कानूनी गलती की है। अपीलान्ट ने कोई 0.01 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ व निर्माण नहीं कर रखा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.11.2016 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.07.2016 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड़ पर अतिक्रमण किया है। जिसके सीमाज्ञान की कार्यवाही का निर्देश तहसीलदार द्वारा दिये गये परन्तु अपीलान्ट द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही न कर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित होता हो कि अपीलान्ट ने अतिक्रमण नहीं किया है। अतः तहसीलदार सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2016 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

6. अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक :**22 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

22/10/19

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner